न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2024

GCMS Case No. : 2024/251

अपीलाण्ट –	बनाम	रेस्पोडेण्ट –
बजरंगसिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह जाति राजपुरोहित निवासी निम्बाड़ा तहसील रानी जिला पाली		1. मोहनी देवी पुत्री चमना 2. राजी पुत्री चमना 3. चुन्नीलाल पुत्र चमना 4. घीसाराम पुत्र लादा 5. मोहनलाल पुत्र लादा 6. सकूड़ी पुत्री चन्दा 7. भिकली पुत्री चन्दा 8. उदा पुत्र हरजी जातिगण मेघवाल निवासी निम्बाड़ा तहसील रानी जिला पाली 9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

"राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मेहरा।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 9 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक 23/04/2026

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 बनाम मोहनी बनाम बजरंगसिंह में पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट् संख्या 6 बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम निम्बाड़ा के खसरा संख्या 215 किस्म बारानी दोयम के 9 खातेदारों में से 8 खातेदारों ने तहसीलदार रानी के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. के तहत आवेदन पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जबकि उक्त आवेदन में पक्षकारों का कुसंयोजन था, साथ

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

ही प्रकरण में प्रार्थी राजी व सकुड़ी की ओर से कोई पैरवी नहीं होने के उपरान्त भी उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। जैर आराजी के पुराने खसरा संख्या 601 थे, जो खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009–2028 के खाता संख्या 177 के अनुसार वादी के पूर्वज भोपालसिंह पुत्र दलसिंह वगैरह की सहखातेदारी थी और खसरा गिरदावरी में खुदकाश्त खातेदारी दर्ज है। भोपालसिंह के तीन वारिश मंगलसिंह, रामचन्द्रसिंह व हरिसिंह थे तथा रामचन्द्रसिंह के वारिश के तौर बजरंगसिंह काबिज है और पारिवारिक मौखिक बंटवाड़े में यह हिस्सा अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ, जिस पर बिना किसी व्यवधान के पिछले 40 वर्षों से उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है, जो कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012, 2013, 2014, 2019 से प्रमाणित है। किसी आराजी पर कब्जा लेने की कानूनन म्याद 12 वर्ष की होती है। जैर आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का वाद सहायक कलक्टर, रानी में विचाराधीन होने एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन म्याद बाहर होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रार्थी के बयान लिये, न ही अपीलाण्ट से जिरह करवायी, न ही अपीलाण्ट की ओर से शहादत पेश करने का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी अनुसूचित जाति की भूमि है, जिसमें वर्तमान में 7 खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता द्वारा सभी पक्षकारों की पैरवी की गई व रेस्पोडेण्ट द्वारा कब्जे का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया, जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर थे। रेस्पोडेण्ट के पूर्वज पन्ना पुत्र कला का नाम जैर आराजी मे वर्ष 1978 से दर्ज है और गिरदावरी भी तब से आज दिन तक रेस्पोडेण्ट के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट की भूमि पर अपीलाण्ट ने वर्ष दिसम्बर 2022 में ही कब्जा काश्त किया जबकि अनुसूचित जाति की भूमि पर अपीलाण्ट कब्जा नहीं कर सकते। सम्वत् 2044 से पूर्व रेस्पोडेण्ट के दादा पना पुत्र कला के नाम सरकार द्वारा जमीन दी गई। सेटलमेन्ट से पूर्व रेस्पोडेण्ट के दादा जैर आराजी पर काश्त करते थे, जिसे अपीलाण्ट ने भी स्वीकार किया है। रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज होने के उपरान्त आदिनांक तक उनका, नाम जैर आराजी में बतौर खातेदार चला आ रहा है। अनुसूचित जाति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिये अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 बनाम मोहनी बनाम बजरंगसिंह में पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्याद बाहर आवेदन पेश किया

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

और पिछले 40 वर्षों से जैर आराजी पर काबिज है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वाद हेतुक उत्पन्न होने के नियत समय में रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया। हस्तगत प्ररकण में जहां तक अधिवक्ता अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में म्याद का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख के तहत समय सीमा बाध्यकारी नहीं है क्योकि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख का उद्देश्य (दलित) अनुसूचित जाति में व्यक्तियों के विरूद्ध किये जा रहे अत्याचार, नांइसाफ से उनको मुक्ति दिलाना है वहा समंयसीमा बाधा नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2015 आर.आर.डी. पृष्ठ 345 हीरा माली बनाम मांगीलाल व अन्य के अनुसार "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख तथाकथित विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य–ऐसे शून्य दस्तावेज पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं तथा न्यायिक दृष्टान्त 2014 आर.आर.डी. पृष्ठ 784–789 उगमसिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य के अनुसार धारा 183–ख तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जाति के आवेदन पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख को मियाद बिन्दु पर खारिज–अपील में कलेक्टर ने तहसीलदार के निर्णय को पलट दिया और गैर दलितों का भूमि पर अतिक्रमिक माना। यह मत राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने निर्णय धारा 183–ख के प्रायोजन अनुसार लिया है। वर्तमान में रेस्पोडेण्ट, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, को उनकी जमीन का विधिवत कब्जा प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में स्वर्ण जाति के किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर किया गया कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अवहेलना की श्रेणी में आता है।

इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् 12 वर्ष की मियाद है जब वाद हैतुक उत्पन्न हुआ हो। हमारे विनम्र विचार में रेस्पोडेण्ट ने जो प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार रानी के समक्ष दिनांक 22.08.2022 को पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी पर अपीलाण्ट ने कब्जा कर रखा है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जैर आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2041 से सम्वत् 2078 तक की काश्त में रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों का नाम अंकित है अर्थात् इस समयान्तराल में जैर आराजी पर रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों का विधिवत काश्त की जा रही थी, इस दरम्यान प्रकरण में वाद हेतुक पैदा होने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। यहां पर अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह उज्र है कि जैर आराजी पर उनका पुराना कब्जा है और म्याद उस तारीख से गणना होने योग्य है, सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे यह साबित हो सके जैर आराजी पर अपीलाण्ट का लगातार वर्षों पुराना कोई कब्जा हो, केवल मात्र कुछ वर्षों की गिरदावरी उसमें भी रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों का नाम शामिल हो, से यह जाहिर नहीं होता की प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का लगातार निर्बाध कब्जा रहा हो। साथ ही मियाद का बिन्दु तृतीय अनुसूची के अनुसार वाद कारण उत्पन्न होने से गणना होने योग्य है। यहां

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया तथाकथित कब्जा आरम्भ से ही शून्य है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत डी.बी. स्पेशल अपील (रिट नम्बर 642/2004) उगमसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य निर्णित दिनांक 07.05.2014 में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य दलित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरूद्ध किये जा रहे अत्याचार, नांइसाफ से उनको मुक्ति दिलाना है और उनको उनकी जमीन वापिस दिलवायी जाना है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन बसर कर सकें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई एवं सांक्ष्य का अवसर दिये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन ओदश पारित किया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा तहसीलदार रानी के समक्ष दिनांक 22.08.2022 को स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट चाही गई। प्रकरण में हल्का पटवारी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2022 के अनुसार जैर आराजी पर अपीलाण्ट बजरंगसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह द्वारा कब्जा काश्त किया होना दर्शाया गया, साथ ही मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि उक्त भूमि अनुसूचित जाति के लोगों की खातेदारी भूमि है, जिस पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने पर इनके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आदेशिका दिनांक 30.12.2022 को अपीलाण्ट मय अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे, जिन्होनें जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। इसके पश्चात् उक्त निर्णित प्रकरण में रेस्पोडेंण्ट बजरंग सिंह के अधिवक्ता द्वारा विभिन्न प्रार्थना–पेश किये गये, जिस पर सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 19.06.2024 को उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई तथा दिनांक 24.06.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल के अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1985 आर.आर.डी. 358 ग्यारसीराम बनाम प्रताप के अनुसार अधिनियम की धारा 183 बी विशेष उपबंध है और इसमें किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के द्वारा धारित भूमि के अतिचारियों की बेदखली की संक्षित प्रक्रिया उपबंधित की गई है। यदि अतिचारी ने अनुसूचति जाति या अनुसूचति जनजाति के किसी अभिधारी के द्वारा धारित भूमि का कब्जा विधिक प्राधिकार के बिना ले लिया या बनाये रखा है, तो वह उसे बेदखल कराने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के आवेदन पर बेदखली के दायित्वाधीन होगा और शास्ति के रूप में, प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए जिसके कि दौरान, जब सम्पूर्ण पर या उसके किसी भी भाग पर वह ऐसे काबिज रहा है, ऐसी कोई राशि जो वार्षिक लगान की पन्द्रह गुनी तक हो सकती है, देने का और दायी होगा। ऐसे किसी आवेदन पर जांच, अतिचारी के रूप में अधिकथित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देते हुये सुक्षिप्त रीति से की जायेगी। अतिचारी को राजस्थान अभिधृति अधिनियम की

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

धारा 5(44) में परिभाषित किया गया है और उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो भूमि का क़ब्जा बिना प्राधिकार के ले लेता है या उसे बनाये रखता है या जो किसी अन्य व्यक्ति को, उसे सम्यक् रूप से पट्टे पर दी गई भूमि का अधिभोग करने से निवारित करता है। राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के अधीन किसी खातेदार अभिधारी के द्वारा अपनी जोत के सम्पूर्ण हित या उसके किसी भाग का विक्रय, दान या वसीयत तब शून्य होगी, यदि ऐसा विक्रय, दान या वसीयत किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। यह तयशुदा विधि है कि राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण आरंभ से ही शून्य है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किया गया अन्तरण, राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42(ख) के उल्लंघन में था। कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे अन्तरण के अधीन कब्जा लेता है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, अन्तरण की तारीख से ही अतिचारी है, इसलिये ऐसे मामलों में उसकी धारा 183 ख लागू होगी। उक्त अन्तरण के होने पर भी मूल खातेदार उक्त भूमि का खातेदार बना रहेगा, और वह ऐसा व्यक्ति होगा, जो अतिचारी को बेदखल करने का हकदार होगा। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुये अपीलाण्ट को प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देते हुये लगभग 1 वर्ष 6 माह के पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि मातहत न्यायालय की आदेशिका से भी प्रमाणित है एवं प्रथमदृष्टया विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कहना कि उन्हें सुनवाई हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया, तर्कहीन प्रतीत होता है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा पक्षकारों के कुंसयोजन के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और उक्त आवेदन पत्र में रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरवी नहीं होने के उपरान्त भी उनकी तरफ से भी आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया, साथ ही प्रकरण में अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 एवं सपठित नियम 67 आर.टी.एक्ट पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह भी रहा कि जैर आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का वाद सहायक कलक्टर रानी में विचाराधीन होने से प्रकरण में धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन अपीलाधीन आदेश को स्थगित फरमाने हेतु पेश किया गया। प्रकरण में अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुल 8 अनुसूचित जाति के खातेदारों द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अनाधिकृत कब्जे को हटाने की मांग की गई। यद्यपि उक्त भूमि में कुल 9 खातेदार थे, तथापि केवल 8 खातेदारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना मात्र इस आधार पर प्रार्थना पत्र को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक खातेदार अपने स्वतंत्र अधिकारों की रक्षा हेतु सक्षम है तथा धारा 183 बी का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति के खातेदारों को उनकी भूमि से

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अवैध रूप से बेदखल किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा विधिवत संज्ञान लेते हुए पटवारी से जांच करवाई गई, जिसमें विवादित भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा पाया जाना प्रमाणित हुआ। उक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि एवं साक्ष्यों के अनुरूप है। जहाँ तक अपीलकर्त्ता के इस तर्क का सम्बन्ध है कि दो आवेदकों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और उनकी पक्ष में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कुल 8 आवेदकों में से 6 के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किए गए थे जबकि शेष आवेदकों द्वारा अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया। मात्र अधिवक्ता का अभाव किसी पक्षकार के अधिकारों के निराकरण में बाधक नहीं होता, विशेषकर तब जब प्रकरण सामूहिक हित से सम्बन्धित हो तथा सभी आवेदक एक ही प्रकार की राहत की मांग कर रहे हों। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में उपस्थित अधिवक्ताओं का उल्लेख करते हुए तथा शेष आवेदकों के सम्बन्ध में विधि के प्रावधानों के अनुसार विचार करते हुए आदेश पारित किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है।

जैर आराजी से सम्बन्धित वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेण्ट बतौर खातेदार दर्ज है तथा उक्त भूमि से सम्बन्धित पुरानी खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2041 से लेकर सम्वत् 2076 तक रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 241 से लेकर सम्वत् 2078 के अनुसार प्रश्नगत आराजी पर रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों द्वारा लगातार काश्त की गई है तथा अपीलाण्ट की भी यह स्वीकारोक्ति है कि रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों द्वारा काश्त की जाती थी। वर्तमान में रेस्पोडेण्ट उक्त भूमि में बतौर खातेदार दर्ज है तथा जैर आराजी अनुसूचति जाति की खातेदारी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल के न्यायिक दृष्टान्त देवीलाल बनाम रामदयाल (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि (1995 राजस्थान विधि पत्रिका 35) के अनुसार "धारा 44 एवं 45 में यह प्रावधित किया गया है कि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन दूसरे को काश्त पर दे सकता हैं परन्तु वह ऐसा अधिनियम के प्रावधित बंधनों के साथ ही कर सकता है। धारा 45 में इस प्रकार के कुछ बंधन लगाये गये है परन्तु धारा 46–ए में स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है अपनी जमीन काश्त करने के लिए किराये पर नहीं दे सकता। अधीनस्थ न्यायालय में वादी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं प्रतिवादी अपीलार्थी जाति का राजपुरोहित है एवं अनुसूचित जाति का नहीं है, यह एक तथ्य हैं। ऐसी स्थिति मे प्रावधानों को देखते हुए रेस्पोडेण्ट अपनी विवादग्रस्त जमीन अपीलार्थी को काश्त पर दे ही नहीं सकते थे और न ही अपीलार्थी द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में आज यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि दावे के कुछ वर्ष पहले अपीलार्थी को यदि विवादग्रस्त भूमि दी भी गई थी या उनका कोई कब्जा हो तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी अपीलार्थी होल्डर ओवर द्वारा काश्तकार या उप काश्तकार हो गया हैं।" उक्त अधिनियम की उपधारा 2 धारा 183–बी अधिनियम में "आरोपी व्यक्ति को

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सुनवाई का उचित अवसर'' शब्दों का प्रयोग मात्र से स्पष्ट है कि अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को उपधारा–1 धारा 183–बी अधिनियम के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ''उचित अवसर'' का यह तात्पर्य नहीं हो सकता है कि वह समस्त प्रक्रिया जो कि मूल दावों में अपनाई गई अथवा जो अपनाई जाने का प्रावधान है यह प्रक्रिया धारा 183–बी, जो जांच संक्षेप से की जानी है के अन्तर्गत भी अपनाई जानी चाहिए। उक्त धारा की मूल मंशा अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को त्वरित न्याय देने की है, जिसमें उक्त धारा के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही संक्षिप्त है। मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रकरण में विचाराधीन समस्त प्रार्थना–पत्रों यथा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को निस्तारण करते हुये आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह उज्र कि जैर आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है इसलिये अपीलाधीन आदेश की पत्रावली को धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 आर.आर.डी. 713 मांगीलाल बनाम जैशाराम में यह स्पष्ट किया कि धारा 10 सि.प्र.सं. धारा 183 ख के अधीन प्रकीर्ण/आवेदनों पर लागू नहीं है। अभिनिर्धारित कि–आवेदक अनावेदकों की खातेदारी भूमि पर अतिचारी है, जो अनुसूचति जाति के व्यक्ति है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2009 आर.आर. डी. पृष्ठ 147 रामप्रसाद बनाम महावीर व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि धारा 183–ख के उपबन्ध गतिशील विचारण और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति को न्याय देने के लिए है। धारा 183–ख के अधीन प्रारम्भ कार्यवाहियों को रोकना उचित और न्यायोचित नहीं है। धारा 10, सि.प्र.सं. प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में लागू नहीं होती। साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2010 आर.आर.डी. पृष्ट 47 प्रकाश बनाम गणेशी व अन्य, 2016 आर.आर.डी. पृष्ट 402 ताज मोहम्मद और अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य में यह अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–ख की कार्यवाही सिर्फ आवेदन पर लागू होती है–सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान यहां लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 1996 आर.आर.डी. 120 प्रभात बनाम कजोड़ में प्रतिपादित किया कि धारा 183–बी अधिनियम में यह कहा गया है कि यह होते हुए भी कि अधिनियम में अन्यथा प्रावधित किया गया है एक अतिक्रमणी को जिसने कि बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी अनुसूचति जाति या जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है या कब्जा कर रखा है उसको सरसरी जांच करके बेदखल किया जावेगा। इन परिस्थितियों में यदि इस सम्बंन्ध में पक्षकारों के बीच किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व में विचाराधीन भी हो तो भी धारा 183–बी. अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और अनुसूचति जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध सरसरी जांच करके उन्हें बेदखल किया जा सकेगा। इस हालात में इन विशेष प्रावधानों के होते हुए जो एक लोक कल्याणकारी राज्य में इन पिछड़ी जाति के लोगों के हित में बनायें गये हैं उनको देखते हुए धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा कार्यवाही को जो कि अन्तर्गत धारा 183–बी अधिनियम चल रही है स्थगित नहीं किया जा सकता है और जब कानूनी

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

स्थिति यह बनती है तो उस हालत में अपील की शक्तियों का प्रयोग करके अपीलाण्ट को कोई भी सहायता देना उचित एवं सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह था कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009–2028 के अनुसार जैर आराजी अपीलाण्ट के पूर्वज दादा भोपालसिंह पुत्र दलसिंह की खातेदारी भूमि थी, जिस पर अपीलाण्ट का पिछले 40 वर्षों से निर्बाध कब्जा काश्त है, जो कि गिरदावरी सम्वत् 2012, 2013, 2014 ,2019 से भी प्रमाणित है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम निम्बाड़ा के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 215 के पुराना खसरा संख्या 601 थे तथा ग्राम निम्बाड़ा की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009–2028 के अनुसार खसरा संख्या 601 में अपीलाण्ट के दादा भोपालसिंह का नाम दर्ज है परन्तु उक्त खतौनी बन्दोबस्त में भोपालसिंह के साथ साथ रेस्पोडेण्ट के पूर्वज पना वल्द कला, हरजी वल्द खंगार कौम बलाई सा. देह भी दर्ज है। इसके अतिरिक्त खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 में भी भोपालसिंह के नाम के साथ साथ पना एव हरजी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट जिन दस्तावेजों के आधार पर जैर आराजी पर केवल अपने पूर्वजों का कब्जा होने का दावा कर रहे है उस दस्तावेजों में अपीलाण्ट के पूर्वजों के अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों का नाम भी दर्ज है। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि रेस्पोडेण्ट के पूर्वज जैर आराजी में पूर्व में कभी भी खातेदार नहीं रहे और न ही इनका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रहा हो। इसके अतिरिक्त उपर वर्णित खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2041 से लेकर सम्वत् 2076 तक रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 241 से लेकर सम्वत् 2078 प्रश्नगत आराजी पर रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों द्वारा लगातार काश्त की गई है अर्थात् उक्त सम्पूर्ण कालखण्ड में जैर आराजी पर केवल रेस्पोडेण्ट एवं उनके वारिसानों का ही कब्जा रहा है। साथ ही जैर आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 240 में अंकित पृष्टियों अनुसार पना पुत्र कला एवं हरजी पुत्र खंगार ही केवल खातेदार के रूप में दर्ज है, इसके अतिरिक्त उक्त पृविष्टि में किसी अन्य खातेदार जो अपीलाण्ट के पूर्वज हो का नाम अंकित नहीं है। उक्त वर्णित खातेदारों के फौत हो जाने पर उनके वारिसानों को उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 240 के जरिये राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात् भी जैर आराजी के सम्बन्ध में अन्य नामान्तरकरण संख्या 546, 740 वर्ष 2009, 823 दिनांक 13.12.2013, 824 दिनांक 13.12.2013, 863 दिनांक 09.11.2014 स्वीकृत किये गये, जो रेस्पोडेण्ट एवं उनके पूर्वजों से सम्बन्धित थे।

हस्तगत प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज है और अभी तक यह प्रविष्टि वैध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 खातेदार काश्तकार – (1) धारा 16 के उपबंधों तथा धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उप–किरायेदार या खुदकाश्त के काश्तकार से भिन्न भूमि का काश्तकार है या जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात उप–किरायेदार या खुदकाश्त के काश्तकार से भिन्न काश्तकार के रूप में या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन और उनके

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अनुसार भूमि के आंवटित के रूप में स्वीकार किया गया है या जो इस अधिनियम या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपंबधों के अनुसार खातेदारी अधिकार अर्जित करता है, खातेदार काश्तकार होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार होगा। जिसके तहत रेस्पोडेण्ट जैर आराजी का खातेदार काश्तकार है और अपीलाण्ट का जैर आराजी पर केवल कब्जा है और भूमि पर कब्जा, खातेदारी अधिकार का प्रमाण नहीं होता जब तक कि वह वैधानिक रूप से घोषित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का कब्जा अवैध है। प्रकरण में अपीलाण्ट का दावा खातेदारी घोषणा के सम्बन्ध में है, जिसके सम्बन्ध में अनुतोष सक्षम न्यायालय से ही प्राप्त किये जा सकते है। अपीलाण्ट्स का मूल खातेदारी घोषण का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी में विचाराधीन है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने करने हेतु विधि में पृथक से उपचार उपलब्ध है और उस बाबत् अपीलाण्ट स्वतंत्र है। साथ ही उपुर्यक्त परीक्षणों से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि पक्षकारों के बीच किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व में विचाराधीन भी हो तो भी धारा 183–बी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे; केवल इन तथ्यों की आड़ में अपीलाधीन आदेश को विधिविरूद्ध ठहराना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं कानून के अनुरूप है। अपीलाण्ट्स जैर आराजी पर अतिक्रमी थे तथा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–ख में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो कि विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)